<u>न्यायालय उ0 सिविल जज(वरीय कोटि)–II, कहलगॉव, भागलपुर</u>

पीठासीन पदाधिकारीः– मो0 तसनीम कौसर

<u>दीवानी वाद संख्या–486/2010</u>

शेख कौसर व अन्य...(वादीगण)

बनाम

शेख तैयव व अन्य..(प्रतिवादीगण)

<u>आदेश</u>

<u>20.09.2025:–</u>

वादी की ओर से पैरवी की गयी है। वाद का पुकार किया गया। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा का प्रतिस्थापन आवेदन U/O- 22 Rule- 04 दिनांक 02.07.2025 को प्रचालित किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस वाद के प्रतिवादी संख्या 04 मोहम्मद ईजरायल की मृत्यु दिनांक 30.04.2025 को हो गयी है जो अपने पीछे एकमात्र पुत्र मो0 रेयाज एवं पॉच पुत्री हीना प्रवीण, तसब्बुर फातमा, रोजी अंजुम, शबाना अंजुम एवं चॉदनी अंजुम को छोड कर गये है। अतः न्यायहित मे प्रतिवादी सं0 04 के नाम को वादपत्र से विलोपित कर उनके कानूनन वारिसानो के नामो को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करने हेतु उचित आदेश पारित करने की कृपा की जाय। वादी के प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 02.07. 2025 पर प्रतिवादी की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल नही किया गया है।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी का प्रतिस्थापन आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है साथ ही समय सीमा के अंदर है। अतः न्यायहित में वादी के प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 02.07.2025 को स्वीकृत किया जाता है। साथ ही कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि वो समय सीमा के अंदर मृतक प्रतिवादी संख्या 04 के नाम को वाद पत्र से विलोपित कर उनके वारिसानों के नाम जोडें।

वाद दिनांक 04.11.2025 वास्ते वादी मृतक प्रतिवादी संख्या 04 के वारिसानों की उपस्थिति हेतु नोटिस की अपेक्षिताएं दोनो माध्यमों से दाखिल करें।

उ0 सिविल जज(वरीय कोटि)-II
कहलगॉव(भागलपुर)